

19.5.11 :-

पंचायत काज के हुके /  
बादी एवं शत्रुबादी उपस्थित हुए  
सोम अलाउत की आवना से जंग  
पड़ो की सम्भारकता की वक्ति / जंग  
में विवाद कापसी आदि कोपारे को  
लेकर ही हुके विवाद कापसी  
ही वि बादी ने - 21/1/11 में

म दवाक

11 पापस

मरास  
भुक्त  
अपु

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

फर्द अहकाम

दिनांक \_\_\_\_\_

18-05-17

काद कास कस विरुद्ध किशो कि  
 मुक्ति खान. 71, 101 स्थित राध लोकर  
 का स. 2066 से 2071 में रिकॉर्ड्स काबज  
 में परिवार की बाप काम दिन कादी से  
 अगुआ डिप्युड कस कास कसने में  
 अड-एन पिदा कसने है। कस: गरीब/स  
 गणों को जारीये स्थाने विरुद्ध/कास  
 पादक कसनामा जाके।

दोनों पक्षों की लोक अदालत के रूप  
 में समझौता की गई। दोनों पक्षों  
 राजीनामा करने पर एकतरफे (केस/के)  
 दोनों पक्षों ने अपने-अपने स्तर के राजीनामा  
 कसने लोक अदालत के रूप में देवा किया।  
 कादी पक्ष की पारिचयन सुजराज सिंह  
 पुत्र अनापान सिंह निवासी काडा/पिचाना/र  
 ने की। तथा परिवार की पक्ष की पारिचयन  
 मिश्र सिंह पुत्र सुराज सिंह निवासी  
 काडा/पिचाना/र ने की। दोनों पक्षों  
 द्वारा अस्तुत राजीनामा स्वीकृत किया  
 जाता है। राजीनामा हो जाने के बाद  
 पंचायत में कोई बीबाद कार्यवाही  
 की आवश्यकता नहीं रहती होगी एवं

अतः राजीनामा के आधार पर  
 पंचायत पक्ष के मुकदमे खती जाके  
 काद लक्ष्मी के नकद से कस ले के  
 दाखिल दफतर हो। निष्पत्ति

निष्पत्ति आज लोक अदालत के रूप  
 शहर में सदे अदालत सुगामा/कास

सदस्य  
 लोक अदालत  
 नादौती (कपिली)
 

 सदस्य  
 लोक अदालत  
 नादौती (कपिली)
 

 अध्यक्ष  
 लोक अदालत  
 नादौती (कपिली)